हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 111/2022 बअनवान ओमप्रकाश बनाम लच्छा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

आदेश

दिनांक 13.02.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अपीलांटस के द्वारा तत्कालीन खातेदार उतरदाता संख्या 6 गोधू पुत्र टीकमा सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा में से रकबा 0.6472 हैक्टयर अर्थात 04.00 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 28.06.2021 से क्रय की गई। इस कारण अपीलांट का हित निहित है। उपरोक्त तथ्य का अंकन प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदेन में किया गया उसके उपरांत भी अपीलांटस को बिना सुने बिना पक्षकार संयोजित किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को स्थगित किये जाने पर अनावश्यक विवाद पैदा होने की संभावना है तथा वाद की बहुलता बढेगी। उभयक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि के बंटवारे का मूल वाद के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में दिनांक 22.06.2022 को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी का पक्षकार बनने हेतु पेश किया गया उक्त आवेदन में पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अपीलांट मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करे। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 83/2021 बउनवान लच्छा बनाम गोधू वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.06.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 13.02.2025 को सुनाया गया।

13/2/2025

(नवनीत कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर